फर्द आदेशनामा

रामकिशोर बनाम [illegible]

र्थना पत्र संख्याः 296 / 25 संशोधित निर्णय दिनांक [illegible]

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप में	[illegible]
.05.2025	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी द्वारा निर्णय दिनांक [illegible] में संशोधन हेतु आवेदन कर निवेदन किया है कि निर्णय दिनांक 09.04.2025 में राहतन से मुरली सही कर दिया गया है जिसके स्थान पर मुरलीधर दुरुस्त किया जावे। साथ ही खाता संख्या 168 के अलावा खाता संख्या 166, 201, 202, 408, 411 निर्णय में नहीं दर्शाये गये है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खाता नंबर 168 के स्थान पर 166, 168, 201, 202, 408, 411, में अंकित खातेदार रामकिशोर पुत्र मुरली उर्फ मूलचंद के स्थान पर रामकिशोर पुत्र मुरलीधर दुरुस्त करने के आदेश दिये जाते है। निर्णय आज दिनांक 23.05.2025 को सुनाया गया। (हिम्मत सिंह) आर..ए.एस. उपखण्ड अधिकारी जयपुर–द्वितीय(सांगानेर) जयपुर	